न्यायलय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला-दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	फूली .... बनाम मीठा लाल	
	मु. नं. 10/22 (T.I)	
21.1.25	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषकों द्वारा न्यायिक कार्य का स्थगन रखा गया। जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 18-2-25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
18-2-25	पीठासीन अधिकारी राज्य कार्य हेतु हाई कोर्ट जयपुर पधारे जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 20-3-25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
20.3.25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पीठासीन अधिकारी अन्य राज्य कार्य में व्यस्त होने से ~~न्यायिक कार्य~~ आदेश नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते आदेश दिनांक 27.3.25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
27/3/25	~~पीठासीन अधिकारी~~ अभिभाषकों द्वारा कार्य स्थगन के कारण न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 24.4.25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
24.4.25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष पक्ष उपस्थित। प्रार्थी का प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अस्वीकार	

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला-दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	पुनीत बनाम मीठालाल मु. नं. 10/22 (T.S.) दिया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर इस वाद के साथ नत्थी हो। उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
10/2022	23.02.2022	24.04.2025

बउनवान

1. पुनीत पुत्र स्व. रामदयाल उम्र 18 वर्ष जरिये बली कुदरती माता श्रीमती सविता स्व. रामदयाल, निवासी जैतपुर, तहसील मण्डावर, दौसा।

..प्रार्थी

बनाम

1. मीठालाल पुत्र मौजूराम, निवासी जैतपुर, तहसील मण्डावर, दौसा।
2. राकेश पुत्र मीठालाल, निवासी जैतपुर, तहसील मण्डावर, दौसा।
3. महेन्द्र पुत्र मीठालाल, निवासी जैतपुर, तहसील मण्डावर, दौसा।
4. सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मण्डावर ।
5. सब रजिस्ट्रार मण्डावर।

..अप्रार्थीगण

उपस्थित

1. अभिभाषक प्रार्थी – श्री भँवरसिंह, श्री मुकेश कुमार।
2. अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 लगा. 3 – श्री प्रीतम चन्द सैनी, श्री जगदीश प्रसाद मीना।

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत
धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

1. प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 व 3 ग्राम जैतपुर तहसील मण्डावर के मूल निवासी है तथा एक ही पूर्वज की संतान है जिसका सजरा निम्न प्रकार है–

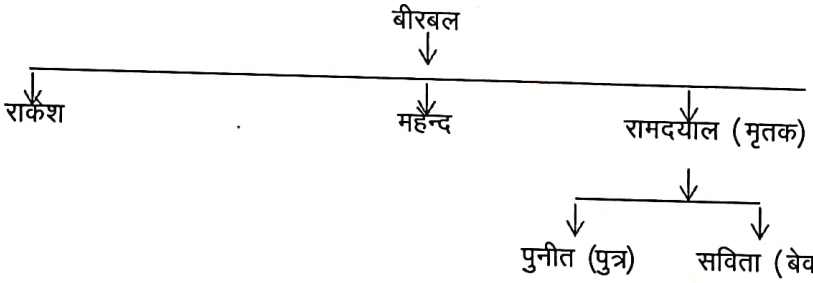

आराजीयात खसरा सं. 190/423 रकबा 0.20 हैक्टे., 192/425 रकबा 0.14 हैक्टे, 24 रकबा 0.23 हैक्टे., 304/390 रकबा 0.11 हैक्टे., 306/392 रकबा 0.23 हैक्टे. कुल किता 5 कुल रकबा 0.91 हैक्टे. ग्राम जैतपुर तहसील मण्डावर में स्थित है। अप्रार्थी सं. 1 मीठालाल के तीन पुत्र थे, बडा पुत्र राकेश कनिष्ठ अभियंता रेल्वे विभाग में कार्यरत है तथा महेन्द्र राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत है। सबसे छोटा पुत्र रामदयाल जो खेती किसान का काम करता था, 2020 में कोविड–19 के चलते परमधाम

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
10/2022	23.02.2022	24.04.2025

बउनवान

1. पुनीत पुत्र स्व. रामदयाल उम्र 18 वर्ष जरिये बली कुदरती माता श्रीमती सविता स्व. रामदयाल, निवासी जैतपुर, तहसील मण्डावर, दौसा।

..प्रार्थी

बनाम

1. मीठालाल पुत्र मौजूराम, निवासी जैतपुर, तहसील मण्डावर, दौसा।
2. राकेश पुत्र मीठालाल, निवासी जैतपुर, तहसील मण्डावर, दौसा।
3. महेन्द्र पुत्र मीठालाल, निवासी जैतपुर, तहसील मण्डावर, दौसा।
4. सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मण्डावर ।
5. सब रजिस्ट्रार मण्डावर।

..अप्रार्थीगण

उपस्थित

1. अभिभाषक प्रार्थी – श्री भँवरसिंह, श्री मुकेश कुमार।
2. अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 लगा. 3 – श्री प्रीतम चन्द सैनी, श्री जगदीश प्रसाद मीना।

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत
धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

1. प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 व 3 ग्राम जैतपुर तहसील मण्डावर के मूल निवासी है तथा एक ही पूर्वज की संतान है जिसका सजरा निम्न प्रकार है–

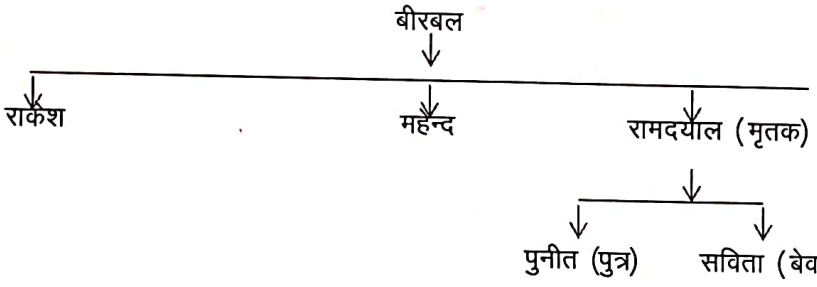

आराजीयात खसरा सं. 190/423 रकबा 0.20 हैक्टे., 192/425 रकबा 0.14 हैक्टे, 24 रकबा 0.23 हैक्टे., 304/390 रकबा 0.11 हैक्टे., 306/392 रकबा 0.23 हैक्टे. कुल किता 5 कुल रकबा 0.91 हैक्टे. ग्राम जैतपुर तहसील मण्डावर में स्थित है। अप्रार्थी सं. 1 मीठालाल के तीन पुत्र थे, बडा पुत्र राकेश कनिष्ठ अभियंता रेल्वे विभाग में कार्यरत है तथा महेन्द्र राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत है। सबसे छोटा पुत्र रामदयाल जो खेती किसान का काम करता था, 2020 में कोविड–19 के चलते परमधाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

को चला गया। रामदयाल के 18 माह का एक पुत्र है। अप्रार्थी सं. 1 ने काफी समय पहले अपनी आराजीयात को अपने तीनों लडकों के मध्य बराबर हिस्सों में बांट दिया तथा स्वयं के लिये एक हिस्सा रख लिया। अप्रार्थी सं. 1 ने अपने पुत्र राकेश को 23 ऐयर भूमि, महेन्द्र को 23 ऐयर भूमि, स्व. रामदयाल को 23 ऐयर भूमि तथा प्रतिवादी सं. 1 ने स्वयं के लिये 22 ऐयर भूमि रख ली। इस प्रकार सभी अपने अपने हिस्सा पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। स्व. रामदयाल के हिस्से में खसरा सं. 24 दिया गया। स्व. रामदयाल अपने जीवन काल में खसरा सं. 24 में स्वयं काश्त करता था तथा उसकी मृत्यु के पश्चात प्रार्थी स्वयं बेबा काश्त करती चली आ रही है। दिनांक 16.05.21 को प्रार्थी के पिता का कोविड–19 के कारण स्वर्गवास हो गया, उसकी मृत्यु के पश्चात अप्रार्थी सं. 1 की नीयत में खोट आ गया तथा अप्रार्थी सं. 1 अपने घर से प्रार्थी को निकालना चाहता है। अप्रार्थी सं. 1 अपने लडके अप्रार्थी सं. 2 व 3 के दबाव में आकर प्रार्थी के पिता स्व. रामदयाल को दी गयी भूमि को कब्जाना चाहता है। प्रार्थी द्वारा बोई गयी फसल को जबरन उताड देते है, प्रार्थी की मां सविता को तंग व परेशान करते है। प्रार्थी ने दिनांक 28.01.22 को अपने दादाजी अप्रार्थी सं. 1 को कहलवाया कि मेरे द्वारा बोई फसल को मत उजाडो, मुझ विधवा के पास मेरा व मेरे पुत्र के लालन पोषण का अन्य कोई साधन नहीं है। अप्रार्थी सं. 1 ने स्पष्ट कहा कि मेरे लड़के मेरी बात नहीं मानते तथा तुझे यहां से भगाना चाहते हैं, तू कहीं भी जा सकती है। मैंने बहुत कहा कि मेरा 18 माह का बच्चा है मैं बेसहारा हूं, मेरे मां बाप भी गरीब है। आप इस जमीन का बटवारा कर दो तथा मेरे लडके का हिस्सा जो खसरा सं. 24 है, उसे उसके नाम करवा दो लेकिन प्रार्थी के दादा जी अप्रार्थी सं. 1 ने स्पष्ट मना कर दिया तथा कहा कि इस भूमि में से तुझे व तेरे बेटे को एक इंच भूमि नहीं दूंगा, न जमीन का बटवारा करूंगा। मेरी जमीन मण्डावर कस्बा के पास है। अच्छी कीमत पर जमीन को बेच दूंगा। इस कारण दावा घोषणा खातेदारी, स्थायी निषेधाज्ञा व तकासमा पेश करना आवश्यक हुआ है। अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 28.01.22 को भूमि विवादग्रस्त का तकास्मा नहीं कराने तथा प्रार्थी के हिस्से की भूमि से बेदखल करने की धमकी दी तथा अप्रार्थी सं. 1 ने आराजी को विक्रय करने की धमकी दी। यदि अप्रार्थीगण अपनी धमकी में सफल हो गये तो प्रार्थी को अपूर्तनीय क्षति होगी। प्राईमाफेसी केस प्रार्थी के पक्ष में बखूबी प्रमाणित है एवं सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं करने पर प्रार्थी को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति इन टर्म्स आफ मनी किसी प्रकार संभव नहीं हो सकेगी जबकि अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने से किसी प्रकार की क्षति नहीं है। अतः निवेदन है कि अप्रार्थीगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि आराजी खसरा सं. 190/423, 192/425, 24, 304/390, 306/392 ग्राम जैतपुर तहसील मण्डावर जिला दौसा में प्रार्थी के हिस्सा की आराजी के उपयोग उपभोग में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करे। आराजी को रहन विकय या अन्य किसी प्रकार से मुन्तकिल नहीं करे। राजस्व रिकार्ड व मौके की स्थिति को यथावत बनाये रखे।

2. अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुतिकरण के समय अप्रार्थीगण के विरुद्ध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने के लिए बहस का

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

निवेदन किया। अभिभाषक प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया जाकर अप्रार्थीगण के विरुद्ध दिनांक 23.02.22 को इस आशय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गयी कि अप्रार्थीगण विवादित आराजीयात खसरा सं. 190/423, 192/425, 24, 304/390, 306/392 ग्राम जैतपुर तहसील मण्डावर जिला दौसा के राजस्व रिकार्ड व मौके की स्थिति को यथावत बनाये रखेगें, प्रार्थी के हिस्से की आराजी के उपयोग उपभोग में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करे, आराजी को रहन विकय या अन्य किसी प्रकार से मुन्तकिल नहीं करे।

3. अप्रार्थीगण को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र नोटिस जारी किए गए। नोटिस की तामील के बावजूद अप्रार्थीगण सं. 4 लगायत 5 अनुपस्थित रहे जिनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर इनके जवाब का अवसर बन्द किया।

4. अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 की ओर से जबाव प्रार्थना पत्र में प्रार्थना पत्र के अधिकांश तथ्यों को अस्वीकार किया गया और कथन किया कि विवादित आराजी अप्रार्थी सं. 1 को अपने पिता की मृत्यु के बाद जरिये डीवेल्यूएशन न्यारानूर से प्राप्त हुई है। तभी से अप्रार्थी सं. 1 उपरोक्त आराजी पर काबिज रह कर काश्त करता चला आ रहा है जिससे प्रार्थी एवं प्रार्थी के पिता मृतक रामदयाल द्वारा अपने जीवन में काश्त नहीं की गई। विवादित आराजी का अप्रार्थी सं. 1 ने आज तक कोई भी विभाजन नहीं किया है और ना ही स्वर्गीय रामदयाल को 23 ऐयर भूमि के रूप में खसरा सं. 24 काश्त हेतु प्रदान किया है तथा श्रीमती सवित्ता देवी ने खसरा सं. 24 पर आज तक किसी भी दिन काश्त नहीं की है तथा सविता देवी अपने पति रामदयाल की मृत्यु के पश्चात से ही अपने पीहर कैंचूकी का बास (बांधक्या का वास) चली गई तथा वहीं निवास कर रही है जिससे उपरोक्त आराजी से उसका कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है। उपरोक्त वर्णित आराजी अप्रार्थी सं. 1 की न्यारानूर भूमि है जिसको अप्रार्थी सं. 1 अपने पिता के जीवनकाल से ही काबिज रह कर काश्त करता चला आ रहा है, उक्त आराजी का विभाजन आज तक नहीं किया गया है। प्रार्थी की मां सविता अपने पति रामदयाल की मृत्यु के बाद से अप्रार्थीगण से कोई सम्बन्ध नहीं रखना चाहती और प्रार्थी को अपने साथ रख कर अप्रार्थीगण की आराजी को विक्रय कर अन्यत्र रहना चाहती है, इसी मंशा की पूर्ति हेतु प्रार्थी द्वारा असत्य कथनों के आधार पर यह वाद प्रस्तुत किया है जबकि अप्रार्थी सं. 1, 65 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति है जो अपनी खातेदारी की भूमि पर अकेले ही काश्त करता है जिससे प्रार्थी एवं प्रार्थी की मां का कोई सम्बन्ध नहीं है और ना ही उपरोक्त भूमि पर प्रार्थी द्वारा कोई फसल बोई गई है। प्रार्थी की मां सविता चतुर चालाक किस्म की महिला है जो अप्रार्थी सं. 1 को आये दिन तंग व परेशान करने की मंशा से मिथ्या प्रकरण पुलिस थाना व न्यायालयों में दर्ज कराती रहती है तथा सविता देवी ने अप्रार्थी सं. 1 के साथ हिंसा कारित करते हुए उसके हाथ को भी तोड दिया है। प्रार्थी एवं प्रार्थी की मां सवितादेवी अप्रार्थी सं. 1 के साथ उसके कौटुम्बिक गृह में रहना नहीं चाहती बल्कि वह अपने पिता के साथ रहना चाहती है। प्रार्थी ने इस मद में कपोल कल्पित कथन अंकित किये हैं तथा प्रार्थी की आयु 18 माह न होकर महज 14 माह आज दिनांक तक है तथा अप्रार्थी सं. 1 ने किसी भी भूमि को बेचने व बंटवारा करने के बारे में प्रार्थी या प्रार्थी की मां से कोई भी बातचीत नहीं की है और प्रार्थी ने इस मद में

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

कहीं भी यह अंकित नहीं किया है कि प्रार्थी जो कि अनुसूचित जनजाति का सदस्य है, उसे किसी विधि व कानून के तहत अप्रार्थी सं. 1 के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि में अधिकार हासिल होते हैं। प्रार्थी को उपरोक्त खातेदारी की घोषणा हेतु एवं स्थाई निषेधाज्ञा व तकासमा का वाद पेश करने का कोई भी अधिकार हासिल नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा तथाकथित दिनांक 28.01.22 को विवादग्रस्त भूमि के बारे में प्रार्थी एवं प्रार्थी की मां को किसी प्रकार की कोई धमकी नहीं दी है और ना ही प्रार्थी उपरोक्त भूमि पर काबिज है, इसलिए प्रार्थी का वाद वादकारण के अभाव में चलने योग्य नहीं है। प्राईमाफेसी केस व सुविधा का सन्तुलन वादी के पक्ष में नहीं होकर प्रतिवादीगण अप्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है, अतः प्रार्थी अप्रार्थीगण को किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी नही है, प्रार्थना पत्र काबिल खारिजी हैं। आराजी खसरा सं. 190/423, 192/425, 24, 304/390, 306/392 में अप्रार्थी सं. 1 मीठाराम पुत्र मौजूराम जाति मीणा खातेदार काश्तकार काबिज आराजी है। उपरोक्त आराजी अप्रार्थी सं. 1 को अपने पिता से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में बनाये गये प्रावधानों के अनुरूप न्यायगमन होने के समय अर्सा करीब 30 वर्ष पूर्व प्राप्त हुई है, तभी से अप्रार्थी सं. 1 न्यारानूर रूप से काबिज रह कर काश्त करता चला आ रहा है और राज सरकार को राज लगान अदा करता चला आ रहा है। अप्रार्थी सं. 1 मीठा लाल को उपरोक्त आराजी विरासतन न्यारानूर से प्राप्त हुई थी। तब प्रार्थी एवं प्रार्थी के पिता रामदयाल व प्रार्थी की मां सविता देवी का अप्रार्थी सं. 1 के परिवार में कोई अस्तित्व नहीं था। इसलिए प्रार्थी का वाद मेन्टीनेबिल नहीं है। उपरोक्त आराजी आज तक अप्रार्थी सं. 1 की अविभक्त आराजी रही है जिसका अप्रार्थी सं. 1 ने कोई भी विभाजन नहीं किया है जिस पर आज तक अप्रार्थी सं. 1 स्वंय काबिज रह कर काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी एवं प्रार्थी की मां सविता देवी अपने पीहर कँचकी का वास (बांधक्या का वास) में अपने पिता के साथ अपने पति की मृत्यु के पश्चात से रह रही है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 अनुसूचित जनजाति में मीणा जाति के सदस्य हैं जिन पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है। इसलिए प्रार्थी को उपरोक्त विवादग्रस्त आराजी में कोई भी किसी प्रकार के अधिकार हासिल नहीं होते हैं। इस विनाय पर प्रार्थी का वाद मेन्टीनेबिल नहीं है। अप्रार्थी सं. 1 विवादग्रस्त आराजी में वर्तमान राजस्व रिकार्ड आफ राईट जमाबंदी के अनुसार खातेदार काश्तकार है जिसके जीवनकाल में पुत्र एवं पौत्रों को कोई भी अधिकार हासिल नहीं होते हैं। इसलिए प्रार्थी का वाद मेन्टीनेबिल नहीं है। अप्रार्थी सं. 1 द्वारा दिनांक 28.01.22 को प्रार्थी द्वारा तथाकथित प्रकार की कोई भी धमकी दी है और ना ही प्रार्थी उपरोक्त दिवस को अप्रार्थीगण से मुखातिब हुआ है। इसलिए प्रार्थी को उपरोक्त दिवस को कोई वादकारण पैदा नहीं हुआ है। वाद कारण के अभाव में प्रार्थी का वाद चलने योग्य नहीं है। प्रार्थी को विवादग्रस्त आराजी में प्रार्थी खातेदार नहीं है तथा प्रार्थी को विधिक रूप से कोई भी अधिकार हासिल भी नहीं है और ना ही विवादग्रस्त आराजीयात में विधिक कब्जा है। इसलिए प्रार्थी को उपरोक्त वाद लाने का कोई भी लोकस्टैण्डाई नहीं है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद में अप्रार्थी सं. 4 तहसीलदार व 5 सब रजिस्ट्रार के विरूद्ध वादकारण पैदा होने के सम्बन्ध में कोई भी कथन अंकित नहीं किए हैं। इसलिए प्रार्थी के वाद में नोन ज्वाईण्डर आफ पार्टीज का दोष विद्यमान

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी

है। विवादग्रस्त आराजीयात को अप्रार्थी सं. 1 से येन केन रूप से हडपने के इरादे से प्रार्थी की मां सविता देवी अप्रार्थी सं. 1 के विरूद्ध मिथ्या प्रकरण दर्ज करा कर व तंग परेशान कर उक्त भूमि को हथियाना चाहती है जिससे प्रार्थी की मां उक्त भूमि को दीगर व्यक्तियों को विक्रय कर स्वंय अन्यत्र रहना चाहती है। इस मैलाफाईड इंटैंशन से प्रार्थी के जरिये प्रार्थी की मां ने यह वाद पेश किया है जो मेन्टीनेबिल नहीं है। अतः वाद प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण मय हर्जा खारिज फरमाया जावे।

5. प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अभिभाषक उभयपक्ष ने प्रार्थना पत्र तथा जबाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा तदनुसार प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का, एवं प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अस्थायी व्यादेश जारी किये जाने बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 में प्रावधान है कि :

212. व्यादेश के लिए और रिसीवर की नियुक्ति के लिए उपबंध – इस अधिनियम के अधीन किसी वाद या कार्यवाही में यदि शपथ–पत्र द्वारा अथवा अन्यथा यह सिद्ध हो जाये कि –

(क) किसी सम्पत्ति का, जिससे ऐसा वाद वा कार्यवाही संबंधित है, उसके किसी पक्षकार द्वारा दुर्व्ययन करने, उसे नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने का खतरा है, या

(ख) ऐसे वाद या कार्यवाही का कोई पक्षकार, न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के अनुक्रम में उक्त सम्पत्ति को हटाने अथवा व्ययन करने की धमकी देता है या ऐसा आशय रखता है।

तो न्यायालय अस्थायी व्यादेश कर सकेगा और, यदि आवश्यक हो तो, रिसीवर नियुक्त कर सकेगा।

(2) कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन व्यादेश किया गया है अथवा जिसकी सम्पत्ति के बारे में रिसीवर नियुक्त किया गया है इतनी रकम की नकद प्रतिभूति दे सकता है जितनी, वाद या कार्यवाही ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध विनिश्चित होने की दशा में विरोधी पक्षकार को मुआवजा देने के लिए न्यायालय अवधारित करे, और ऐसी प्रतिभूति की रकम जमा किये जाने पर न्यायालय, यथास्थिति, व्यादेश या रिसीवर की नियुक्ति के आदेश को प्रत्याहृत कर सकेगा।

6. प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने के लिए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं को तय किया जाना है। जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 के अनुसार, ग्राम जैतपुर तहसील मंडावर में स्थित वादग्रस्त आराजीयात का अप्रार्थी सं. 1 रिकार्डेड एकल खातेदार है। इस कारण प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में नहीं है।

7. विवादित आराजीयात बाबत, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गए सजरा को अप्रार्थी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत किये गए जवाब में स्वीकार किया गया है। इससे स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात पैतृक आराजीयात है। इस प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध वाद पत्र घोषणा खातेदारी, खाता विभाजन तथा स्थायी निषेधाज्ञा के लिए प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी/वादी, वाद पत्र के द्वारा स्वयं को विवादित आराजीयात के 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित करवाना

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

चाहता है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा रिवीजन सं. 1825/2017 उनवान अंकिता वगै. बनाम ताराचंद वगै. में दिनांक 14.06.17 को पारित निर्णय में अभिनिर्धारित किया कि पिता के जीवनकाल में पुत्रों को खातेदारी अधिकार अर्जित नहीं होते। इस निर्णय में अभिनिर्धारित सिध्दांत हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतः चस्पा होते हैं। इस कारण प्रकरण में विवादित आराजीयात के खातेदार मीठालाल के जीवन काल में उसके पुत्र स्वर्गीय रामदयाल के खातेदारी अधिकार घोषित नहीं किये जा सकते और इसीलिये खातेदार मीठालाल के पौत्र को भी मीठालाल के जीवन काल में खातेदारी अधिकार घोषित नहीं किये जा सकते। इस कारण सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में नहीं पाया जाता है। इसके अतिरिक्त यदि रिकार्डेड खातेदार अप्रार्थी सं. 1 के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो इससे अप्रार्थी सं. 1 को अपूरणीय क्षति होगी।

8. उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में नहीं पाया जाता है। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित नहीं है।

आदेश

9. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अस्वीकार किया जाकर ग्राम जैतपुर, पटवार हल्का पाखर–2, तहसील मण्डावर, जिला दौसा में स्थित वादग्रस्त आराजीयात खसरा सं. 190/423, 192/425, 24, 304/390, 306/392 कुल रकबा 0.91 हैक्टे. के सम्बन्ध में, अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस न्यायालय द्वारा दिनांक 23.02.2022 को जारी की गई अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रचलन को समाप्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

10. निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 24.04.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)